

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 14-05-2026

क्र. ESTB-1/211/2026-REVENUE:: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची क्रमांक 307/08/चयन/ 2025, दिनांक 21-11-2025 में चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नायब तहसीलदार के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे 4200) में नियुक्त किया जाता है। नियुक्त अधिकारी की सेवायें वित्त विभाग के निर्देश 571/260/वि/नि/चार/2020, दिनांक 12/09/2023 के अध्याधीन रहेगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा। चयनित नायब तहसीलदारों को निम्नांकित तालिका में, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम (5) में दर्शाए गए जिले में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	चयन सूची अनुसार वरीयता क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक पता	श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय एवं जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	श्री कमलनारायण, पता- ग्राम व पोस्ट करेली बाड़ी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदा बाजार भाटापारा
2	2	श्री योगेन्द्र, ग्राम व पोस्ट भंसुली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी
3	3	श्री रोशन कुमार देवांगन, पता करनौद, देवांगन मोहल्ला, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़
4	4	श्री करन सोनी, पता ग्राम नेवधा, पोस्ट केसदा, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर
5	5	श्री रंतीदेव राठौर, पता जय भारत अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सामने, नेताजी चौक, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अ.पि.व.	कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर
6	6	कु. श्रुति गुप्ता, पता एल.आई.जी.-281, सेक्टर-2 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदा बाजार भाटापारा
7	7	श्री गजेन्द्र ओगरे,	अनु.जाति	कार्यालय कलेक्टर,

		पता घर क्र. 573, सिंधिया नगर तितुरडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)		जिला रायगढ़
8	8	श्री कमल राम ठाकुर, पता वार्ड नं. 12, मंडीपारा पेटोल पंप के पीछे, नरहरपुर, पोस्ट व तहसील नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद
9	9	श्री महेन्द्र पाल सिंह राज, म.नं. 58, वार्ड-5, ग्राम खोदरी, पो. रवा, तह. पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर चाँपा
10	10	श्री हेम लाल सिदार, पता ग्राम रेमडा, पोस्ट सालहेतराई, जिला महासमुन्द (छ.ग.)	अ.ज.जा.	कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद

2/ उपरोक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

3/ उपरोक्त परीवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को जब प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में देंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4/ परीवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को परीवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर नायब तहसीलदार को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में पुनः सम्मिलित होकर, परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।

5/ परीवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों को परीवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा, जो अधिकारी उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं परीवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी। परीवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परीवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो।

6/ उपरोक्त अभ्यर्थियों की परीवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य स्थिति) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अंतर्गत शासित होगी।

निरंतर.....2

//2//

7/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

8/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

9/ परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पार न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई समस्त राशि, जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। (बाण्ड का प्रारूप संलग्न है)

10/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(त्रिलोचन पवार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. ESTB-1/211/2026-REVENUE नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14-05-2026

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. महालेखाकार, जीरो पॉइन्ट, विधानसभा रोड़, रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. उप सचिव छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

निरंतर.....3

//3//

6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र कमांक 307/08/चयन/ 2025, दिनांक 21-11-2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,

8. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर, छ०ग० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि भविष्य में आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें,

9. आयुक्त, भू-अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.,

10. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.,

11. कलेक्टर, जिला.....छ.ग.। उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व मूल जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराये। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न कराकर उनके प्रकरण उचित मार्गदर्शन हेतु इस विभाग को प्रेषित करें। कृपया संबंधित से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बॉण्ड फार्म भरवाकर इस विभाग को भेजें,

12. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.,

13. जिला कोषालय अधिकारी,..... छ.ग.,

14. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर संबंधित जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें, ताकि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर, आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें,

15. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फ़ाइल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(टीप :- आदेश, राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue> / पर उपलब्ध है)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग